भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1619

(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्राप्त आवेदन

1619. श्री राजकुमार रोत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं और कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उस स्थिति के संबंध में कोई कदम उठाए हैं जहां अनुसूचित क्षेत्रों में जब कोई लाभार्थी महिला जनजातीय परंपराओं (सामाजिक तलाक) के अनुसार तलाक प्राप्त करती है और कहीं और पुनर्विवाह करती है तो कई गरीब जनजातीय परिवार पीएमएवाई-जी के लाभों से वंचित हो जाते हैं क्योंकि महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं; और

(घ) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आदिवासियों में प्रचलित उक्त प्रथागत विवाह प्रथा में तलाक का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और ऐसे मामलों में यदि किसी महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है और उसके पति या बच्चों को घर की आवश्यकता है , तो उन्हें विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ आवास (पिछले चरण के लक्ष्य अर्थात 2.95 करोड़ आवासों सहित) का निर्माण किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ-राज्य

क्षेत्रों को 4.14 करोड़ मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसके सापेक्ष राज्यों द्वारा 3.87 करोड़ से अधिक आवासों को स्वीकृति दी गई है और 05.02.2026 तक 2.95 करोड़ से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत शामिल करने के लिए परिवारों से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सूची के आधार पर पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) से की जाती है। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में (08 जिलों में) पीएमएवाई-जी के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 3,96,503 है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ और आवासों के निर्माण के लिए मार्च , 2029 तक पीएमएवाई-जी की निरंतरता को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करते हुए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने हेतु आवास+ 2018 सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया के आयोजन को मंजूरी दी है। भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार योजना के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। ऐप में पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से स्व-सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण दोनों का प्रावधान था।

आवास+ 2024 सर्वेक्षण को पूरा करने की प्रारंभिक समय सीमा 31.03.2025 थी जिसे सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक और फिर 15 मई, 2025 तक बढ़ाया गया। इसके बाद , जिन राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों ने समय सीमा में विस्तार का अनुरोध किया , उन्हें सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। वर्तमान में , राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र स्व-सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि और प्रणाली द्वारा चिह्नित सर्वेक्षण मामलों के सत्यापन और विलोपन का संचालन कर रहे हैं। यह कदम आवास+ 2024 घरेलू सर्वेक्षण से ग्राम पंचायत-वार प्राथमिकता सूचियों के निर्माण से पहले पूरा किया जाना है। इसके बाद , ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन और अपीलीय प्रक्रिया को पूरा करके स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को अंतिम रूप देने के लिए पीएमएवाई-जी के मौजूदा कार्यान्वयन ढांचे (एफएफआई) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। पीएमएवाई-जी दिशा-निर्देश विधवा, अलग हुई, अविवाहित, या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े मामलों को छोड़कर , महिलाओं के नाम पर या उनके पतियों के साथ संयुक्त रूप से मकान की स्वीकृति का प्रावधान करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों को लक्षित है जो वास्तव में वंचित

हैं, एसईसीसी 2011 डेटा और आवास+ सूची में आवास मापदंडों का उपयोग परिवारों की पहचान के लिए किया जाता है और फिर ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।

*****